मध्य प्रदेश विशिस्ट सम सामयिकी जून २०२१

युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को COVID-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए 'युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान (Yuva Shakti Corona Mukti Abhiyan)' प्रारम्भ किया गया है |

इस अभियान के द्वारा छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों को COVID-अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा |

यह अभियान मुख्यमंत्री निर्देश पर राज्य के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से अभियान चलाया गया है |

अभियान मुख्य तथ्य-

- राजकीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को 'कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण' का प्रशिक्षण दिया जायेगा | इन छात्रों के माध्यम से लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाएगा |
- अभियान के तहत, छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों को COVID के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा |
- ये प्रशिक्षित छात्र, अपने परिवारों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को टीकाकरण के लाभों और कोरोना की रोकथाम के बारे में जानकारी का प्रसार करेंगे |
- अभियान की प्रभावी रीयल-टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है |
- ऐप के माध्यम से 'युवा शक्ति कोरोना मुक्ति' अभियान की दैनिक गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जाएगी |

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना के विभिन्न बिंदुओं पर अनुमोदन दिया है-

अन्य तथ्य-

Follow us on Telegram
Gradeup: PCS & State Exams 137K subscribers Subscribe Now

- यह योजना ऐसे बच्चों के लिये बनाई गई है, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना से एक मार्च से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो, जिससे उनकी आर्थिक समस्या के अतिरिक्त उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
- इसके लिए इस योजना के माध्यम से शासन द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता, नि:शुल्क राशन तथा नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।
- योजना में प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता, संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क मासिक राशन तथा शिक्षा सहायता के रूप में पहली से लेकर स्नातक तक की नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- इसमें शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय शामिल है।
- इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा, विधि शिक्षा इत्यादि सभी विषयों की भी नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान योजना में रखा गया है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्यप्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इण्डेक्स में मध्यप्रदेश प्रथम रहा है।

अन्य तथ्य-

- वर्ष 2019-20 में भी मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर था।
- वर्ष 2020-21 के एनीमिया मुक्त भारत स्कोर-कार्ड में मध्यप्रदेश को मिली प्रथम रैंक में 64.1 प्रतिशत वेल्यू आँकी गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।
- प्रदेश में आयरन फोलिक एसिड कव्हरेज अंतर्गत 6 से 59 माह के बच्चों का कव्हरेज 36.3 प्रतिशत, 5 से 9 वर्ष के बच्चों का कव्हरेज 71.6 प्रतिशत, 10 से 19 वर्ष के बच्चों का कव्हरेज 66.3 प्रतिशत, गर्भवती महिलाओं का कव्हरेज 95 प्रतिशत और धात्री माताओं का कव्हरेज 51.3 प्रतिशत रहा, जो अन्य प्रांतों से अधिक है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams

Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी

प्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

अन्य तथ्य-

- योजना में अभी तक प्रदेश के 1615 गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं।
- हरदा जिले के शत-प्रतिशत गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं।
- अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का प्रतिशत 41 है।
- योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीण आबादी को अधिकार अभिलेख का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
- स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार का शासकीय दस्तावेज स्वामित्व कार्ड के रूप में दिया जाएगा ।
- इस दस्तावेज के माध्यम से वे अपनी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय कर सकेंगे तथा बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।
- योजना के अंतर्गत ड्रोन द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर केवल उन सम्पत्ति धारकों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) के लागू होने की दिनांक 25 सितम्बर 2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के बाद आबादी भूमि भूखंड का आवंटन किया गया है ।

आईआरएडी एप परियोजना के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के अनुसार मध्यप्रदेश आईआरएडी परियोजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे है। प्रदेश में अब तक 14 हजार सड़क दुर्घटनाओं का डाटा उक्त एप में दर्ज किये जा चुके हैं। इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

अन्य तथ्य-

- सागर में सर्वाधिक एक हजार दुर्घटनाओं की प्रविष्टियाँ की गई हैं ।

Follow us on Telegram
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- आईआरएडी परियोजना देश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि वर्तमान में छः राज्य तमिलनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में पायलट रूप में क्रियान्वित की जा रही है ।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है ।
- देश में सडक दुर्घटनाओं की दर को कम करने के साथ ही दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है ।
- वर्तमान में इस परियोजना में चार विभाग पुलिस, परिवहन, सडक स्वामित्व वाले विभाग और स्वास्थ्य विभाग को जोड़ा गया है ।

सुपोषित मध्यप्रदेश के लिए पोषण नीति-2020 का अनुमोदन

मुख्यमंत्री द्वारा सभी समुदायों को पोषण एवं स्वास्थ्य की व्यापक सुरक्षा प्रदाय करने तथा उन्हें सक्षम बनाने, समुदाय विशेषकर बच्चों, किशोरों और महिलाओं को उपयुक्त पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त कर 'सुपोषित मध्यप्रदेश' की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य की पोषण नीति-2020 अनुमोदित की गई है ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास के लिए सहायक और सक्रिय पारिस्थिति का तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 जारी की गई है।

अन्य तथ्य-

- मंत्रि-परिषद ने इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण की भूमि आवंटन के लिए नये नियम अनुमोदित किए हैं ।
- यह नियम मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 के नाम से जाने जाएँगे ।
- नए नियमों के अनुसार नियम लागू होने से पहले के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विकास शुल्क 150 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा नियम लागू होने के बाद विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिये विकास शुल्क उस औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

Follow us on Telegram
Gradeup: PCS & State Exams 137K subscribers Subscribe Now

- औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भूखण्डों का आवंटन आनलाईन नीलामी प्रक्रिया से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- आवंटन प्रक्रिया तथा अपील प्रक्रिया में समय-सीमा लगभग आधी की गई है।
- इसके अतिरिक्त विभागीय शेडों को किराये पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग 17 जिलों से निकलने वाले नर्मदा एक्सप्रेस-वे और ग्वालियर-चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस-वे के कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समीक्षा की है |

प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा नए नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए यह दोनों परियोजनाएँ दूरगामी निवेश हैं।

यह परियोजनाएँ प्रदेश की प्रगति को नए आयाम देंगी । परियोजना निर्माण में अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग की जाने की कोशिश की जाएगी ।

अटल प्रोग्रेस-वे

- अटल प्रोग्रेस-वे भिंड, मुरैना तथा श्योपुर जिले से गुजरेगा। यह क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस- वे, ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर, आगरा-कानपुर हाइवे के मध्य स्थित है।
- भिंड में लॉजिस्टिक हब, मुरैना में मल्टी प्रोडेक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और श्योपुर में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना है।
- अटल प्रोग्रेस-वे की अनुमानित लागत 6 हजार 742 करोड़ रुपये है।
- कुल 312 किलोमीटर लम्बा यह मार्ग श्योपुर, भिंड और मुरैना के 153 गाँव से गुजरेगा।
- इस परियोजना के लिए 3 हजार 55 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।
- परियोजना के अंतर्गत 7 पुल और दो आर.ओ.बी. का निर्माण प्रस्तावित है।

नर्मदा एक्सप्रेस-वे

- नर्मदा एक्सप्रेस-वे प्रदेश को पूर्वी सीमा में एन एच-45 ई बिलासपुर-रायपुर-विशाखापट्नम मार्ग और पश्चिम में गुजरात को जोड़ेगा।
- लगभग एक हजार किलोमीटर लम्बाई के इस मार्ग के निर्माण पर 2 हजार 696 करोड़ रूपये की लागत अनुमानित है।

Follow us on Telegram
Gradeup: PCS & State Exams 137K subscribers Subscribe Now

- नर्मदा एक्सप्रेस-वे पूर्वी मध्यप्रदेश को औद्योगिक रूप से उन्नत पश्चिमी मध्यप्रदेश से जोड़कर औद्योकीकरण के नए अवसर पैदा करेगा।
- यह प्रदेश की हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रियल बेकबोन सिद्ध होगा।
- प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा इसी बेल्ट में स्थित है।
- नर्मदा एक्सप्रेस-वे क्षेत्र में इटारसी और कीरतपुर को लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस के हब के रूप में विकसित करने की योजना है।
- मोहासा-बाबई में फार्मा और मल्टी प्रोडक्ट पर केन्द्रित विश्व-स्तरीय पार्क विकसित करने का कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

राज्य में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है ।

अन्य तथ्य-

- मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का उद्देश्य ऐसे शासकीय सेवक, सेवायुक्तों की कोविड-19 के उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है।
- राज्य के समस्त नियमित वेतन मानदेय, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ/संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय होता है, योजना के लिये पात्र होंगे ।

योजना के नियम :-

- मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर,आरएटी) होना चाहिए ।
- योजना अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रुपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।

Follow us on Telegram
Gradeup: PCS & State Exams 137K subscribers Subscribe Now

- मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी ।
- जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जाएगा ।

वित्तीय सहायता-

- योजना अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रूपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
- जिन सेवायुक्तों को उनके नियोक्ता द्वारा पूर्व से ही अनुग्रह राशि (एक्सरोशिया) एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अन्य उपादान का भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्षो में भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से कम है तो 5 लाख रूपये एवं वास्तविक भुगतान हेतु आंकलित राशि के अन्तर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जायेगा।
- जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि / उपादान राशि की पात्रता नहीं है, उनके पात्र दावेदार को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा।
- परिवार में एक से अधिक सेवायुक्तों के योजनांतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक-पृथक राशि देय होगी ।

योजना की अवधि-

- मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी ।
- यदि सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी ।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams

Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

मध्य प्रदेश राज्य जूनियर व यूथ आनलाइन शतरंज प्रतियोगिता

मध्य प्रदेश शतरंज एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य जूनियर व यूथ आनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक व बालिका वर्ग में माधवेन्द्र और सेरा चैंपियन बने हैं ।

अन्य तथ्य-

- बालक वर्ग में छटवे चक्र की समाप्ति पर माधवेन्द्र प्रताप शर्मा छह अंको के साथ पहले स्थान पर और नव्या गोयल पांच अंको के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- बालिका वर्ग में सेरा डगारिया चार अंको के साथ पहले और अविका पवार तीन अंको के साथ दूसरे स्थान पर रही।
- इस वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले चारों खिलाडियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मप्र टीम में शामिल कर लिया गया है।
- अंडर 18 में आयुष शर्मा विजेता, प्रखर बजाज उपविजेता, बालिका वर्ग में सेरा पहले व नित्यता दूसरे स्थान पर रही।
- अंडर 16 में ओजस्व सिंह पहले व प्रखर बजाज दूसरे स्थान पर रहे। बलिका वर्ग में सेरा पहले और हर्षिता जैन दूसरे स्थान पर रही।

60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप विजेता बबीता पटेल

- मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी बबीता पटेल ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पोलवाल्ट इवेंट में रजत पदक जीता।
- इसके अतिरिक्त जबलपुर के विक्रम सिंह ने 10000मी. दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया |
- मध्य प्रदेश राज्य अकादमी की बबीता पटेल ने पोल वाल्ट में 3.40 मीटर के साथ रजत पदक जीता है।
- इसमें तमिलनाडु की बैरानिका इलेनगोवन ने 3.90 मीटर के साथ स्वर्ण व तमिलनाडु की ही रोसी मीना पालराज ने 3.30 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।
- मध्य प्रदेश अकादमी के कुल चार एथलीट ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था |
- इससे पहले जबलपुर एथलेटिक्स कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के विक्रम सिंह ने 10 हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया था ।

Follow us on Telegram
Gradeup: PCS & State Exams 137K subscribers Subscribe Now